संख्या- 51/2016/638/नौ-5-16-140बजट/2010टी0सी0

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 21 मार्च, 2016

विषयः- जनपद मेरठ की मेरठ पेयजल परियोजना हेतु उपरि गंगा नहर से 43 क्यूसेक की जलापूर्ति हेतु राजवाहो की लाइनिंग कार्य सम्बन्धी परियोजना हेतु तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मेरठ के पत्र संख्या-नि-280/मु0अ0गंगा/ दिनांक 19.02.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मेरठ की मेरठ पेयजल परियोजना हेतु उपरि गंगा नहर से 43क्यूसेक की जलापूर्ति हेतु राजवाहों की लाइनिंग की परियोजना की निर्धारित लागत रू0 12846.28 लाख (रू0 एक अरब अठ्ठाइस करोड़ छियालिस लाख अठ्ठाइस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए शासनादेश संख्या- 195/2015/2642/नौ-5-140बजट/2015, दिनांक 15-06-2015 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 1200.00 लाख (रू0 बारह करोड़ मात्र) एवं शासनादेश संख्या- 354/2015/6107/नौ-5-140बजट/2015, दिनांक 17.12.2015 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, का व्यय हो जाने के दृष्टिगत तृतीय किश्त के रूप में रू0 1500.00 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न बीएम-9 के अनुसार अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो, प्रतिबन्धों एवं निर्देशों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर सिंचाई विभाग के सम्बन्धित इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/ पोस्टआफिस / पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशालता को देखते हुए प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यो की प्रगति के सतत अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा तथा इस समिति द्वारा किये गये अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीडबैक की प्रति व्यय वित्त समिति के उपयोगार्थ पीएफएडी को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(8) प्रस्ताव का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टयों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य

go finance mangal font

बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च उच्च विशिष्टयां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(9) शासनादेश संख्या-195/2015/2642/नौ-5-140बजट/2015, दिनांक 15-06-2015 एवं शासनादेश संख्या-354/2015/6107/नौ-5-140बजट/2015, दिनांक 17.12.2015 द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215- जल पूर्ति तथा सफाई- 01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-06-पेयजल हेतु व्यवस्था-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान " से आहरित कर "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-191-नगर निगमों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों को पेयजल कार्यो हेतु-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 51/2016/638(1) /नौ-5-16-140बजट/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0 शासन।
3- मण्डलायुक्त, मेरठ ।
4- जिलाधिकारी, मेरठ ।
5- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
6- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय,30प्र0 लखनऊ।
7- नगर आयुक्त,नगर निगम,,मेरठ ।
8- अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-2, सिंचाई भवन, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता (नागर), 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता(गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मेरठ ।
10- सिचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12-- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

go finance mangal font

finance.up.nic.in

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37- नगर विकास विभाग वित्तीय वर्ष 2015-16

निम्लिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

(धनराशि हजार रु0 में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा। संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
"2215- जल पूर्ति तथा सफाई- 01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-06-पेयजल हेतु व्यवस्था-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान "	700000	150000	150000	150000	550000
योग	700000	150000	150000	150000	550000

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा। संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-191-नगर निगमों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों को पेयजल कार्यो हेतु-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"	250000	400000	150000	150000	400000
योग	250000	400000	150000	150000	400000

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-:

(1) पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचतें हो रही है।

(2) स्तम्भ 8-में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9-में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है -:

नागर निकायों के लिये पेयजल कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आरएई0संख्या- 567 ई-8-677/दस-2016, दिनांक 18 मार्च, 2016

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव,
नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या- 638(1)/नौ-5-2016-14बजट/2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मण्डलायुक्त, मेरठ ।
4- जिलाधिकारी, मेरठ ।
5- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
6- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8- नगर आयुक्त,नगर निगम,,मेरठ ।
9- अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-2, सिंचाई भवन, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता(गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मेरठ ।
12- सिचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
14-- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-21/03/2016

प्रेषण संख्या:- 51

आवंटन आदेश संख्या:- 001-51-2016-638-9-5-16-140B-2010TC

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

01 - जलपूर्ति

191 - नगर निगमों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों को पेयजल कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	150000000	150000000
		प्रगामी	426578000	426578000
	योग	वर्तमान	150000000	150000000
		प्रगामी	426578000	426578000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पन्द्रह करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बयालीस करोड़ पैंसठ लाख अठहत्तर हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी